न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा उन्नाव।

UPUN120014232026

विविध वाद संख्या–25/2026
शिवनारायण बाजपेयी बनाम सूर्यप्रकाश आदि
थाना– बिहार जिला उन्नाव।
दिनांक–23.06.2026

(1) पत्रावली पेश हुई। आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0 पर सुना गया।

(2) संक्षेप में आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0 के कथन इस प्रकार हैं कि आवेदक शिवनारायण बाजपेयी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद बाजपेयी निवासी ग्राम गौरइया, पो0 धनकौली, थाना बिहार जिला उन्नाव का स्थायी निवासी है। आवेदक बसिलसिले रोजगार रेनूकोट में रहता था और सेवानिवृत्त के बाद कानपुर शहर में अपना आवास बनाकर रहने लगा लेकिन प्रार्थी की पैत्रिक भूमि व मकान आदि गॉव में है और गांव में मकान की देखरेख करने के लिए कभी भी गांव आता जाता रहता है और गांव के ही एक गोवर्धन नाई को मकान की देखरेख व खेती बाड़ी की देखरेख के लिए रख दिया था वहॉ मकान की साफ सफाई व खेती बाड़ी की करता था। घटना दिनांक 22.04.2026 समय करीब 02 बजे दिन की है कि रोज की भॉमि गोवर्धन नाई गेट खोलकर सफाई करने लगा तभी पड़ोस के सूर्यप्रकाश बाजपेई व गोलू बाजपेई एकराय होकर घर के अन्दर घ ुसकर गोवर्धन नाई को गन्दी गन्दी गालियॉ देते हुए जान से मार देने की धमकी दी और कहा भाग जा साले यहॉ से दिखाई मत पड़ना नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। प्रार्थी को गोवर्धन नाई द्वारा सूचना मिलने पर प्रार्थी दो घण्टे में कानपुर से ग्राम गोरईया पहुॅचकर गोवर्धन नाई से सम्पर्क किया गोवर्धन नाई ने प्रार्थी को पूरी जानकारी दी तब प्रार्थी ने गोवर्धन नाई को लेकर पैत्रिक मकान का ताला खेलवाकर अन्दर गया कि इतने में उपरोक्त दोनों लोग घर के अन्दर घुस आये और प्रार्थी को भद्दी भद्दी गालियॉ देते हुए लातघूसों से मारने लगे। प्रार्थी के चिल्लाने पर गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गये और उपरोक्त लोग घर से बाहर निकलकर जाने लगे जाते जाते उपरोक्त लोगों ने यह धमकी दी कि इस घर में तुम्हें रहने लगे ओर तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। मकान और सहन पर हम कब्जा कर लेंगे और तुम्हारी जमीन पर हम अपना घूर डालेंगे। देखे तुम और हमारा क्या करोगे और यह भी धमकी दी कि आज तो बच गये हो आइन्दा तुम्हें कौन बचायेगा। उपरोक्त लोग शोरेपुस्त व गुण्डा किस्म के व्यक्ति हैं और जबरिया सहन में अपनी कार ट्रैक्टर खेती का सामान आदि रखते हैं और प्रार्थी के सहन में एक नाली जबरदस्ती खोद डाली है। मना करने पर अमादा फसाद होते हैं। उसका गन्दा पानी प्रार्थी के सहन में भरा रहता है। जिससे कि मच्छरों का जमावडा रहता है। जिसकी शिकायती कई बार थाना बिहार पुलिस अधीक्षक उननाव को की गयी लेकिन प्रशासन द्वारा नहीं की गयी। जिसकी

शिकायत पुनः पुलिस अधीक्षक उननाव से की जा रही है। जिसकी तुरन्त जॉच कराकर उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने पुनः दिनांक 11.5.2026 ाके पुलिस अधीक्षक उन्नाव को दिया है। जब कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं हुई तो प्रार्थी मजबूर होकर श्रीमान जी के समक्ष मुकदमा दायर कर रहा है। जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में आता है। उक्त आधारों पर रिपोर्ट दर्ज कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी है।

(3) आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में सूची साक्ष्य से **ए–** पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 11.05.2026 की छायाप्रति, **बी–** रजिस्ट्री रशीदें दिनांकित 11.05.2026 **सी–** आधार कार्ड सं0– 724503165578 की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

(4) आवेदक के उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। जिसके अनुसार आवेदक के प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

(5) सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

(6) प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक को विपक्षीगण का नाम व पता ज्ञात है। इस प्रकार आवेदक द्वारा जिन तथ्यों को वर्णित किया गया है वह सभी तथ्य पूर्ण रूप से स्वयं की जानकारी में रखता है। वह अपना मामला स्वयं के साक्ष्य से साबित कर सकता है।

(7) उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **1–सुखवासी बनाम राज्य उ0प्र0, ए0सी0सी0 2007 (6),ए0एल0जे0 पृष्ठ सं0 424, फादर थानास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 (72) ए.सी.सी. 564 पूर्ण पीठ, कृष्ण कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 (1) ए.एल.जे. 649, एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था जयन्त एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 (2) ए.सी.सी. 670 सुप्रीम कोर्ट** यहॉ सादर प्रयोज्य है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायलय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि प्रार्थनापत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाये।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/आवेदक का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी धारा 223 बी0एन0एस0एस0 दिनांक 23.07.2026 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।